राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(316) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई–जी/अभि./तक. अनु. समिति/2017–18 जयपुर, दि. 23 फरवरी, 2018

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दि 22.02.2018 को आहुत की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मुख्य एजेण्डा बिन्दु एवं लिये गये निर्णय/निर्देश निम्नानुसार है :–

1. **जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन/ट्रेक्टर मय स्क्रेपर द्वारा मिट्टी खुदाई एवं मिट्टी का बंड/एम्बेकमेन्ट के कार्य जिला दर अनुसूची (बीएसआर सॉफ्टवेयर) के आईटम संख्या 196 की परिभाषा (nomenclature) में दर्शाई कमियां व बीएसआर सॉफ्टवेयर में अनुपलब्ध आईटमों की दर जल संसाधन विभाग की बीएसआर से लेने बाबत् चर्चा** :–

   जिला दर अनुसूची (बीएसआर सॉफ्टवेयर) के आईटम संख्या 196 पर जेसीबी मशीन/ट्रेक्टर मय स्क्रेपर द्वारा मिट्टी खुदाई एवं मिट्टी का बण्ड/एम्बेकमेन्ट के कार्य मद के विवरण (specifition) में अंकित "15सेमी. परत में दबाना (compaction)" हटाते हुए "डगलों को तोडने (Breaking of clods), घास एवं कंकर, पत्थर को अलग करना (Sorting of grass & pebbles) " आदि की गतिविधि सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।

   यह स्पष्ट किया गया है कि जो आईटम/गतिविधि जिला दर अनुसूची (बीएसआर सॉफ्टवेयर) में सम्मिलित नही है, उस आईटम/गतिविधि को, यदि लेना आवश्यक है तो ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 8.4.6 के प्रावधानुसार अन्य विभाग की बीएसआर दर में से ठेकेदार लाभ की 10 प्रतिशत राशि कम करके ही दर अनुमत की जा सकती है।

   जिला दर अनुसूची (बीएसआर सॉफ्टवेयर) में आईटम होने के उपरान्त भी अन्य विभाग (जल संसाधन) की बीएसआर **दर में से** ठेकेदार लाभ की 10 प्रतिशत राशि कम किए बिना ही भरतपुर जिले में स्वीकृत करने की आपत्ति करने पर अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), जिला परिषद भरतपुर द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 14.02.2018 को जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2018 द्वारा निरस्त करने बाबत् सूचित किया गया।

2. **फलाई ऐश के उपयोग एवं संवर्धन हेतु फ्लाई ऐश से निर्मित ईट को बीएसआर सॉफ्टवेयर में सम्मिलित करने हेतु फ्लाई ऐश की ईट के चयन व नाम करण पर चर्चा।**

पीडब्ल्यूडी बीएसआर सामग्री सूची में फ्लाई ऐश से निर्मित 4 प्रकार की ईटों के आईटम अंकित किये हुए है। विभागीय कार्यों हेतु बीएसआरसॉफ्टवेयर में सम्मिलित करने के कम में क्षेत्र में सर्वे कर उपयुक्त ईट के प्रकार व नामकरण के सम्बन्ध में आगामी बैठक में विचार हेतु सुझाव भिजवाने बाबत् निर्देश दिये गये।

3. **बीएसआर सॉफ्टवेयर में सृजित दर अनुसूची व अन्य विवरण आदि के संबंध में परीक्षण/समीक्षा / प्राप्त सुझाव पर चर्चा।**

बीएसआर सॉफ्टवेयर में सृजित दर अनुसूची व अन्य विवरण आदि के संबंध में परीक्षण/समीक्षा कर आवश्यक संशोधन व सुधार हेतु उपयुक्त सुझाव मांगे गये।

4. **एनएम सदगुरू वाटर एण्ड डवलपमेंट फाउण्डेशन द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कार्य कराने की स्थिति में कॉन्ट्रेक्टर लाभ की 10 प्रतिशत राशि कम करके दरें अनुमत कराने हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों पर पुनर्विचार पर चर्चा।**

गैर–सरकारी संगठनों (स्वयं सेवी संस्थाओं) के माध्यम से कार्य करवाने के संबंध में उल्लेखनीय है कि विभागीय बीएसआर दरों में कॉन्ट्रेक्टर लाभ की 10 प्रतिशत राशि सम्मिलित नहीं की जाती है। यदि कार्यकारी संस्था द्वारा निर्माण कार्य नियमानुसार निविदा प्रकिया उपरान्त कॉन्ट्रेक्ट पर कराये जाते है तो बीएसआर दरो पर प्राप्त टेण्डर प्रिमियम (कम/अधिक) दरों के अनुमोदन के अधिकार सक्षम स्तर की कय समिति में निहित है। अतः उक्त प्रस्ताव के कम में ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 में अंकित प्रावधानों में किसी प्रकार का संशोधन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा।
3 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4 निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण. विभाग।
5 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/ईजीएस/पंचायती राज/जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण. विभाग।
7 संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
8 अति0 निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण. विभाग।
9 अधीक्षण अभियंता (एसएस), जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग।
11 अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गॉधी नरेगा।
12 अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज विभाग।
13 संयुक्त निदेशक (अभि.), जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण. विभाग।
14 जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान।
15 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
16 अधिशाषी अभियंता (अभि./ईजीएस) जिला परिषद्, समस्त, राजस्थान ।
17 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)